तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/4/18	प्रार्थनापत्र पेश हुआ, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय में तैनात हैं। पूर्वानुसार दिनांक 30/5/18 को पेश हो।
30/5/18	प्रार्थनापत्र लोक अदालत में [illegible] पश्चात पूर्वानुसार दिनांक 27/7/18 को
30.5.18	प्रार्थनापत्र लोक अदालत में समझौता होकर समझौता पत्र पेश किया गया। पक्षकारों के बीच समझौता की शर्तों के अनुसार प्रार्थी को अपने भरण पोषण के एवज में एकमुश्त धनराशि प्राप्त कर चुकी है प्रार्थिया पत्नी विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थिया को अपने खर्चा पर रखेगा।